न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बेगूं जिला चितौडगढ़ (राज0)
पीठासीन अधिकारी मुकेश कुमार मीणा–II

अपील संख्या :– 05/2018

दऊबाई पत्नी स्व0 बरदा जी जाति जाट उम्र बालिग निवासी देवलछ तहसील बेगूं जिला चित्तौडगढ राज0
—— अपीलार्थी

बनाम

1– श्री रामबक्ष पिता देबीलाल जी जाति जाट उम्र बालिग निवासी देवलछ तहसील बेग
2– लेहरीलाल पिता गोपीलाल जी जाति जाट उम्र बालिग निवासी देवलछ तह0 बेगूं
3– बदामीबाई पत्नी रामबक्ष जाति जाट उम्र बालिग निवासी देवलछ तह0 बेगूं
4– भगवानलाल पिता बरदा जाति जाट उम्र बालिग निवासी देवलछ तह0 बेगूं
5– रामचन्द्र पिता चुन्नीलाल जाति जाट उम्र बालिग निवासी देवलछ तह0 बेगूं
जिला चित्तौड़गढ़ (राज0) — रेस्पॉडेन्ट्स

उपस्थितः– कैलाश चन्द्र मंत्री
अधिवक्ता अपीलान्ट
श्री देवेन्द्रसिंह चुण्डावत
अधिवक्ता रेस्पा.

आदेश दिनांक :– 21.06.2022

आदेश अपील विरूद्ध निर्णय नामान्तरण संख्या 158 ग्राम देवलछ प0ह0 केरपुरा तह0 बेगूं निर्णित दिनांक 01/08/1987 निर्णय उपतहसीलदार सा0 पारसोली

अपीलार्थी की ओर अधिवक्ता श्री के.सी.मंत्री द्वारा अपील पत्र प्रस्तुत करते हुए ग्राम देवलछ के नामान्तरण संख्या 158 पर दिये गये निर्णय के विरूद्ध अपील निम्न आधार बिन्दुओं पर प्रस्तुत की हैः–

यह कि ग्राम देवलछ प.ह0 केरपुरा के मृतक गैरखातेदार श्री मथुरा पिता किशना जी जाति जाट निवासी देवलछ केला औलाद फौत हौ जाने पर हल्का पटवारी ने उनकी विरासत का नामान्तरण, नामान्तरण संख्या 158 दर्ज कर प्रस्तावित नाम में कॉलम संख्या 11 में विधि प्रावधानो के विपरित जाकर रेस्पोडैन्ट को बिना किसी आधार के मृतक का गौद पुत्र बता नाम प्रस्तावित कर दिया जिस पर भू0अ0नि0 ने बाद जॉच वारिसान निर्णय की टिप्पणी की एवं अधिनस्थ न्यायालय ने बिना किसी जॉच के मृतक मथुरा जी के भाई के पुत्र रेस्पोडैन्ट के पक्ष में नामान्तरण स्वीकृत करने में भूल की है जिससे निर्णय नामान्तरण निरस्त होने योग्य है ।

यह कि हल्का पटवारी द्वारा उक्त वर्णित नामान्तरण के कॉलम संख्या 16 में अपनी टिप्पणी में रेस्पोडैन्ट को भाई का पुत्र होकर वारिस होना अंकित किया एवं इसी नामान्तरण पर मृतक के परिवार का सजरा अंकित किया जिसमें रामबक्ष को देबी का पुत्र एवं मथुरा को ला औलाद फौत होना अंकित कर रक्खा है, इन सब तथ्यों के अंकित होते हुए अधिनस्थ न्यायालय ने बिना अन्य किसी विधिक वारिस को सुने एवं बिना किसी गौद के आधार के विधि प्रावधानो के विपरित जाकर मृतक मथुरा का नामान्तरण रेस्पोडैन्ट के पक्ष में बतौर गौद पुत्र अंकित कर करने में भारी भूल की है जिससे निर्णय नामान्तरण निरस्त किये जाने योग्य है ।

यह कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधि प्रावधानो के विपरित जाकर रेस्पोडैन्ट के मृतक मथुरा का गौद पुत्र नहीं होते हुए, बिना किसी विधिक एवं वैध आधार के मृतक खातेदार की विरासत का निर्णय किया हैं जिससे यह निर्णय विधि प्रावधानो के विपरित होने से अवैध नामान्तरण की परिभाषा में आता है फिर भी यह एक निर्णय होने से इसे निरस्त किया जाना आवश्यक होने से यह अपील नामान्तण मृतक गैरखातेदार मथुरा के भाई बरदा जिनका भी हित निहित था का देहावसान हौ जाने से बरदा की पत्नी अपिलार्थी जिसका हित निहित है, कि ओर से प्रस्तुत है।

यह कि नामान्तरण संख्या 158 पर निर्णय दिनांक 01/08/1987 को होकर इसकी जानकारी अपीलार्थी को जमाबन्दी एवं नामान्तरण की दिनांक 06/08/2018 को नकल प्राप्त करने से प्राप्त हुई एवं जानकारी दिनांक से समयावधि में अपील नामान्तरण प्रस्तुत है । कानूनी पैचीदगी से बचने के लिए नियमानुसार धारा 5 समयावधि अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी अलग से प्रस्तुत है। वैसे भी प्रावधानानुसार अवैध नामान्तरण की अपील की कोई समयावधि नहीं होती है ।

यह कि अपील श्रवणाधिकार न्यायालय श्रीमान् को प्राप्त होकर अपील पूर्ण न्यायशुल्क पर मय सम्मन, प्रोसेस व नकलों के प्रस्तुत है ।

अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर नामान्तरण संख्या 158 पर दिये गये निर्णय को निरस्त फरमा नये सिरे से सही वारिसान के नाम नामान्तरण किये जाने का आदेश प्रदान करावे ।

उपरोक्त अपील पत्र न्यायालय में प्रस्तुत होने पर बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट् की ओर से अधिवक्ता श्री देवेन्द्रसिंह चुण्डावत द्वारा अपना अधिकार पत्र प्रस्तुत किया। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 जा.दी. का प्रस्तुत किया जिसमें इस नामान्तरण की अपील सुने जाने का अधिकार इस न्यायालय को नहीं होना अंकित किया है, इस प्रार्थना पत्र को सिद्ध करा पाने हेतु अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट श्री देवेन्द्रसिंह चुण्डावत को न्यायालय में आवाज दिलाये जाने पर भी वे हाजिर नहीं आये है। जिससे उनके विरूद्ध प्रकरण में एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये, प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता अपीलान्ट ने निवेदन किया कि यदि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा एल.आर.एक्ट के प्रावधानानुसार प्रकरण को दर्ज कर सुना जाकर नामान्तरण का निर्णय किया जाता है तो उसके सम्बन्ध में अपील माननीय संभागीय आयुक्त महोदय को होती है जबकि इस नामान्तरण को सीधे ही बिना किसी को सुने तथा ना ही कोई दस्तावेज संलग्न किये गोदपुत्र बताते हुए नामान्तरण खोला गया है जो कि प्रावधानों के विपरीत खोला है जो निरस्त किया जाने योग्य है। पत्रावली मे प्रस्तुत नकल नामान्तरण संख्या 158ग्राम देवलच्छ का अवलोकन हमारे द्वारा किया गया उक्त नामान्तरण विरासत मथुरा के लिए खोला गया है तथा जो कि रेस्पोडेन्ट को मुतबन्ना बताते हुए रामबक्ष के पक्ष में खोला गया है। साथ ही पत्रावली नकल जमाबंदी एवं आधार कार्ड, राशनकार्ड एवं मतदाता परिचय पत्र

का अवलोकन किया जिसमें रामबक्ष के पिता का नाम देवीलाल अंकित है जबकि नामान्तरण संख्या 365 देवलच्छ में रामबक्ष पिता मु. मथुरा का नाम अंकित करते हुए उन्हें खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये है। रामबक्ष मु0 मथुरा द्वारा एक पंजीकृत विक्रय विलेख लेहरी पिता गोपीलाल के पक्ष में निष्पादित किया है।

इस प्रकार सभी दस्तावेज के अवलोकन से पाया जाता है कि खातेदार मथुरा पिता किशना जाट की मृत्यु के उपरान्त विरासत से खोला गया नामान्तरण संख्या 158 जो रामबक्ष मु0 मथुरा के पक्ष में खोला है जिसमें पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट अंकित की है कि मथुरा के कोई जायन्दा औलाद नहीं है। प्रश्न यहॉ यह उठता है कि क्या रामबक्ष मथुरा का गोदपुत्र है या नहीं क्यो कि रामबक्ष के पिता का नाम अन्य दस्तावेजो में देवीलाल अंकित है, यह सभी दस्तावेज के आधार मामला विरासत की जॉच करते हुए मृतक खातेदार मथुरा पिता किशना जाट के सही सही वारिसान के पक्ष में नामान्तरण खोले जाने का बनता है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रामबक्ष को मथुरा का मुतबन्ना बताते हुए नामान्तरण खोला है जो कि उनके अधिकार क्षैत्र में नहीं है। अपील अपीलान्ट की स्वीकार किये जाने योग्य पाई जाती है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है मौजा देवलच्छ प0ह0 कैरपुरा के नामान्तरण संख्या 158 निर्णय दिनांक 01.08.1987 को निरस्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार बेगूँ को प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि वह मृतक खातेदार मथुरा पिता किशना जाट निवासी देवलच्छ के वारिसान के सम्बन्ध में सही सही जॉच करते हुए पुनः विरासत का नामान्तरण खोल कर प्रमाणित करना सुनिश्चित करें। निर्णय की प्रति तहसीलदार बेगूँ को वास्ते पालनार्थ दी जाती है।

आदेश आज दिनांक 21.06.2022 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(मुकेश कुमार मीणा–II)
उपखण्ड अधिकारी,
बेगूँ

क्रमांक / सरिश्ता / 2022 / 274

दिनांक :– 1. 7. 2022

निर्णय की प्रति तहसीलदार, बेगूँ को पालनार्थ दी जाती है।

उपखण्ड अधिकारी,
बेगूँ